न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 436/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भूराराम पुत्र रूगनाथराम 2– दानाराम पुत्र सिमरंथाराम 3– हुकमाराम पुत्र बागाराम 4– हरेन्द्रकुमार पुत्र बागाराम 5– भोमाराम पुत्र बागाराम 6– चैनाराम पुत्र बागाराम 7– तीजो पत्नी बागाराम सभी जातियान जाट निवासीगण पांचलाखुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर 2– गैनाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी पांचला खुर्द तहसील तिंवरी 3– शिवसिह पुत्र गुमानसिह 4– भगवतसिह पुत्र गुमानसिह 5– आसु सिह पुत्र गुमान सिह जातियान राजपूत निवासीगण पीलवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर हाल निवासीगण पीलवा हाऊस, महामंदिर रोड जोधपुर 6– थानाराम पुत्र लालाराम 7– रामुराम पुत्र लालाराम जातियान जाट निवासीगण पांचलाखुर्द तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा आदेश कमांक/सम/कोर्ट/2018/834–835 दिनांक 20–7–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री एन.एस.भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 5 की ओर से।
3–श्री रामप्रकाश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7 की ओर से ।
4–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु प्रस्ताव चाहे जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार तिंवरी की ओर से पटवार मण्डल पांचलाखुर्द के राजस्व ग्राम जसनाथ बाडी के प्रस्ताव संख्या 1 जसनाथ बाडी से दर्जियो की ढाणी लक्ष्मीनारायणनगर की सीमा तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव जिसके तहत खसरा नंबर 439 रकबा 158.17 बीघा किस्म बारानी द्वितीय मे से 2.18 बीघा, खसरा नंबर 441, रकबा 117.13 बीघा किस्म बारानी द्वितीय मे से 2.04 बीघा, खसरा नंबर 442 रकबा 25.02 बीघा किस्म बारानी द्वितीय मे से 0.17 बीघा भूमि गै0मु0रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये, जिसके अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपीलाधीन आदेश कमांक 834–835 दिनांक 20–7–2018 के द्वारा प्रस्तावित भूमि मे से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया तथा तहसीलदार तिंवरी को आदेशित किया कि इसी अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति मे राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी एवं नक्शे) मे

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

नियमानुसार अंकन किया जायें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबर 439 रकबा 158.17 बीघा मौजा जंसनाथ बाडी पांचलाखुर्द मे से कोई सार्वजनिक या कदीमी रास्ता नही चलता है, मौके पर अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि के चारो ओर तारबंदी की हुई है । फिर भी पटवारी हल्का ने बिना ग्रामवासियो की मांग के गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया और अपीलांट के खातेदारी के रकबे को कम करते हुए 2.18 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर दी जबकि किसी भी खातेदार की खातेदारी की भूमि को उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना उसकी सहमति के गै.मु.रास्ता के रूप मे दर्ज नही किया जा सकता तथा यह भी कथन किया कि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौका रिपोर्ट तलब की और न ही पटवारी हल्का से भूमि का माप व सीमांकन करवाया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत नक्शे मे तरमीम के प्रावधान दिये गये है तथा धारा 136 मे लिपिकीय त्रुटि को संशोधन के प्रावधान दिये हुए है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण के खेत मे से पूर्व से कोई रास्ता नही चल रहा था और न ही राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अप्रार्थी संख्या 3 बागाराम पुत्र जांवताराम जो कि वर्तमान अपीलांट संख्या 3 से 7 के पिता है, फ़ौत थे परंतु उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना तथा उन्हे सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रास्ते का प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी

एक्ट की धारा 251 एवं 251–ए मे दिये हुए है इसलिए रास्ते के संबंध मे विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 मे से अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 439 रकबा 158.17 बीघा ग्राम जसनाथ बाडी पांचला मे से 2.18 बीघा गै0मु0रास्ते के संबंध मे पारित किये गये निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अपीलाधीन आदेश को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि उक्त आदेश की पहली से तीसरी पंक्ति में राजस्थान सरकार द्वारा रास्ता अभियान के तहत रास्तो की समस्याओं के निवारणार्थ मौके पर जारी रास्तो के संबंध मे सर्वे कराकर राजस्व रेकर्ड मे अंकन का प्रस्ताव चाहा जाने पर प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये थे तथा रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश के अंतिम की पांच लाईनो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निजी खातेदारी की भूमि मे स्थाई सार्वजनियक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगा परंतु जमाबंदी व नक्शे मे पृथक से खसरा नंबर दिया जाकर किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जावें । अथार्त खातेदारो के खातेदारी के रकबे मे कोई परिवर्तन ही किया गया है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता के इस कथन को गलत बताया कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ एवं यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तो की समस्याओ के समाधान अभियान के तहत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे अपील मे वर्णित खसरा नंबर 441 रकबा 117.13 बीघा भूमि मे से 2.04 बीघा भूमि खसरा नंबर 441/1 मे चल रहे कटाणी रास्ते को अपीलांटगण द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिये जाने पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 शिवसिह पुत्र गुमानसिह राजपूत की ओर से उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष उक्त कटाणी रास्तो खुलवाने के लिए आवेदन पत्र पेश किया जाने पर तहसीलदार तिंवरी को जांच कर कटाणी मार्ग खुलवाने की कार्यवाही के आदेश दिये जाने पर तहसीलदार तिंवरी के आदेश पर दिनांक 27–5–2020 को मौके पर से अपीलाधीन आदेश मे वर्णित गै.मु.रास्ता के खसरा नंबरान पर से तहसीलदार तिंवरी स्वयं, मय पुलिस जाब्जा के साथ मौके पर से बंद रास्ता खुलवाया गया जिसकी मौका फर्द सलंग्न प्रस्तुत कर अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर कदीमी से चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही है, को चिन्हित कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने के निर्देश होने पर अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 एवं अपील पत्रावली मे एवं बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, उन्हे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे मे इन्द्राजात करवानें के निर्देशो के तहत तहसीलदार तिंवरी के प्रस्ताव अनुसार पारित किया जाना प्रकट होता है ।

वर्तमान अपील मे अपीलांटगण का मुख्य कथन यह है कि उन्हे कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलांटगण की उपस्थिति मे मौके की जांच करवाये बिना तहसीलदार तिंवरी ने अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि के कुल रकबे मे से गै.मु.रास्ते बाबत रकबे का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना खातेदार को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबर 439 की कुल भूमि 158.17 बीघा मे से 2.18 बीघा भूमि की किस्म गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करनें का आदेश पारित कर दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता ही नही चल रहा है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित अवश्य किया है परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय क्रमांक कोर्ट/2018/ 834–35 दिनांक 20–7–2018 मे से अपीलांट की मौजा जसनाथबाडी पांचलाखुर्द स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 439 मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 2.18 बीघा भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण करे, उन्हे सुनकर यदि उसके खातेदारी के

खसरा नंबर 439 मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर